न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
64 / प्रा0पत्र / 2018	16.04.2018	07.05.2018

मोहम्मद जफर आ0 मोहम्मद शकूर जाति मुसलमान निवासी बाणगंगा बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (राजस्थान)

– प्रार्थी

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से – श्री मोहम्मद शरीफ अभिभाषक।

–: निर्णय :–

राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 की धारा 65(ख) राजस्थान कोर्ट फीस स्टाम्प वैल्यूएशन रूल्स 1961 के नियम 27(1) तथा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(5) वित्त कर 03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार कोर्ट फीस स्टाम्प रिफण्ड के लिये श्रीमान् जिला कलक्टर, बून्दी के आदेश क्रमांक 646–649 / रीडर / 2018 दिनांक 12.04.2018 से अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी को अधिकृत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी मोहम्मद जफर आ0 मोहम्मद शकूर जाति मुसलमान निवासी बाणगंगा बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ने जर्ये अभिभाषक श्री मोहम्मद शरीफ के द्वारा दिनांक 16.04.2018 को पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी के न्यायालय द्वारा दीवानी वाद संख्या 32 / 2016 उनवान मोहम्मद जफर बनाम रामनारायण के वाद का लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण किया गया है। जिसमें प्रार्थी को कोर्ट फीस 3450 / – रूपये वापस लौटाये जाने का आदेश पारित हुआ है। न्यायालय द्वारा कोर्ट फीस भुगतान हेतु प्रारूप संख्यांक 395 दिनांक 21.03.2018 जारी किया गया है। अतः प्रार्थी को कोर्ट फीस राशि 3450 / – रूपये का भुगतान किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी के प्रारूप संख्यांक 395 दिनांक 21.03.2018 से प्रार्थी को न्याय शुल्क (कोर्ट फीस) राशि 3450/– रूपये (अक्षरे– तीन हजार चार सौ पचास रूपये) लौटाने के आदेश दिये गये है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी के आदेश की पालना में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कोर्ट फीस स्टाम्प 3000/– रूपये का 01 नग, 100/– रूपये के 04 नग, स्टाम्प नम्बर 047638 से 047640 एवं 047610, 50/– रूपये का एक नग, कुल नग 06, कुल स्टाम्प राशि 3450/–रू0 राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 2 (5) F.D./कर/03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार राजस्थान कोर्टफीस एण्ड सूट वेलूऐशन रूल्स् 1961 के नियम 27 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी को 3450/– रूपये राज्य सरकार के पत्रांक प. 2 (32) F.D./कर/06 दिनांक 07.03.2007 के अनुसार स्टाम्प रिफण्ड कटौती 6.25 प्रतिशत की दर से 216/– रू0 की कटौती करते हुये शेष राशि 3234/–रूपये (अक्षरे–तीन हजार दौ सौ चोतीस रूपये) का भुगतान प्रार्थी मोहम्मद जफर आ0 मोहम्मद शकूर जाति मुसलमान निवासी बाणगंगा बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी को करने की स्वीकृति दी जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 07.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/5/18

(नरेश कुमार मालव, R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)